न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –112/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
भंवरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपुरोहित निवासी नारवा खुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 26-04-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2017 सरकार बनाम भंवरसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.09.2017 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलांट को ग्राम नारवा खुर्द के खसरा संख्या 423 कटाण रास्ते की दो बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी होने का भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 423 की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। खसरा नम्बर 423 रास्ता खुला है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 423 की दो बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने तथा अपीलान्ट पर एक रूपये शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित किये है।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकारी के होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने खसरा संख्या–423 की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और न ही रास्ते की भूमि को अवरोधित, बाधित या बन्द ही किया है। रास्ता नोटिस देने से पूर्व भी खुला था और खसरा संख्या 423 का रास्ता आज दिन भी खुला है। असल में पटवारी हल्का ने खसरा संख्या 427 के खातेदार से मिलावट कर खसरा संख्या 427 के खातेदार को खसरा संख्या 423 व अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 में से नया रास्ता दिलाने के लिए अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा संख्या 423 पर अतिक्रमण होने की झूठी रिपोर्ट तहसीलदार खींवसर को प्रेषित कर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की गलत कार्यवाही आरम्भ करवा दी। खसरा संख्या 427 के खातेदार का आने जाने का रास्ता पीढ़ीयों से पूर्व तरफ चल रहे कटाण रास्ते से होकर रहता रहा है, मगर कई सालों से खसरा संख्या 427 को कास्त नहीं करने के कारण पूर्व तरफ के खातेदारों ने 427 में आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया।

अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 व 427 के बीच लगभग चार फुट चौड़ी माठ उत्तर से दक्षिण तक आई हुई है, जिसमें से पूरे उत्तर से दक्षिण तक आधी चौड़ी माठ अपीलान्ट की है, जिसको शामिल करने पर अपीलान्ट की भूमि खसरा संख्या 428 का नाप 1 बीघा 4 बिस्वा होता है। बाकी आधी माठ खसरा संख्या 427 के खातेदार की है। मगर फर्द मौका बनाते समय पटवारी ने खसरा संख्या 427 का कोना खसरा संख्या 423 के चिपते होने का सर्वथा झूठा कथन फर्द मौका रिपोर्ट में किया है। खसरा संख्या 427 का कोई कोना खसरा सख्या 423 से नहीं लगता है बीच में अपीलान्ट

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

की दो फुट चोड़ी माठ आती है। इस तथ्य को जानबूझ कर पटवारी ने नजरअन्दाज किया है तथा खसरा संख्या 427 के खातेदार को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 में लगभग दस फुट चौड़ी भूमि में नया रास्ता धारा 91 की कार्यवाही की आड़ में खोलना चाहते है, जिसकी अनुमति पटवारी हल्का व अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी सकती। धारा 91 की आड़ में अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में से जो नया रास्ता बनाया जाना है उसके अपील के साथ सलग्नक नक्शे में अ ब स चिन्ह से चिन्हित कर दिखाया जा रहा है। धारा 91 की कार्यवाही से नक्शे में दर्ज किसी कटाण रास्ते की मौके पर चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती और न ही कसी व्यक्ति के खातेदारी की भूमि में धारा 91 की कार्यवाही की जा सकती है।

अपीलान्ट को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 428 की पूर्वी माठ जहां तक अपीलान्ट की है वहां पर अपीलान्ट को तारबन्दी व मेठ बन्दी करने का अधिकार है। अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर तारबन्दी मेठबन्दी करने के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अपीलान्ट को धारा 91 का नोटिस दिया गया उसके पीछे नक्शा बनाकर अपीलान्ट का अतिक्रमण दर्शाया गया है वैसा अतिक्रमण अपीलान्ट ने कभी नहीं किया था। अपीलान्ट को धारा 91 का नोटिस दिया उसमें भी खसरा संख्या 427 के खातेदार का रास्ता बन्द करने की सूचना नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय व पटवारी धारा 91 की आड़ में खसरा संख्या 427 के खातेदार को नाजायज फायदा पहूँचाना चाहते है और नया अनुतोष देना चाहते है, जिसका अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट सर्वथा गलत है। मौके पर आये बगैर व अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार की हुई है। ऐसी रिपोर्ट किसी निर्णय का अधार नहीं बन सकती। रिपोर्ट मौके के विपरित है। अतिक्रमण व रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं हुए। पटवारी के बयान नहीं होने से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं मिला व जिससे पटवारी की रिपोर्ट की सत्यता बाबत सही तथ्य सामने नहीं आने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.एल.डब्लू–1995(1) (एस.सी.) पेज–117, आर.आर.डी. मार्च,2002 पेज 132 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर मेडबन्दी कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नारवा कंला की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 28.8.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नांरवा कलां से रास्ते का सीमाकंन कर रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का नांरवा कलां की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.8.17 के अनुसार पटवारी हल्का नारवा कंला व भू अभिलेख निरीक्षक पांचला सिद्धा व अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उक्त वादग्रस्त रास्ते का सीमांकन जरीब चलाकर बताया गया तथा मौके पर खसरा नं0 423 पर की गई तारबन्दी व पट्‌टीयां को हटाने को कहा गया। मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया। अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट भंवरसिंह द्वारा राज्य सरकार के विरूद्व सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर के न्यायालय में ग्राम नारवा खुर्द के खसरा नम्बर 423 कटाण रास्ते की चौड़ाई खसरा संख्या 428 के पास नहीं बढ़ाने, न खसरा संख्या 428 में नया रास्ता बनाने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति तथा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या–115/2017 भवंरसिंह वगैरह बनाम राज0 सरकार वगैरह में

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा दिनांक 25.09.17 को विवादित मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा आदेश दिनांक 25.09.17 को पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा हस्तगत प्रकरण में निर्णय जैर अपील दिनांक 04.09.2017 को ही पारित किया जाकर फर्द बेदखली दिनांक 8.9.17 के द्वारा रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके निर्णय जैर अपील पर सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.17 तत्समय प्रभावी नहीं रहा है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का नारवा कंला द्वारा ग्राम नारवा खुर्द के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. रास्ता की भूमि पर मेडबन्दी कर अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक पांचलासिद्धा से जॉच शुदा रिपोर्ट दिनांक 17.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में प्रकरण संख्या 18/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट ने मय अपने अधिवक्ता के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28.8.2017 को जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नांरवा कलां से रास्ते का सीमाकंन कर रिपोर्ट चाही गई। उक्त संबंध में पटवारी हल्का नांरवा कलां की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.8.17 के अनुसार पटवारी हल्का नारवा कंला व भू अभिलेख निरीक्षक पांचला सिद्धा व अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उक्त वादग्रस्त रास्ते का सीमांकन जरीब चलाकर बताया गया तथा मौके पर खसरा नं0 423 पर की गई तारबन्दी व पट्टीयां को हटाने को कहा गया। मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया। अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया गया तथा अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर पुनः पटवारी हल्का नारवां कलां से रास्ते का सीमांकन करवाया गया, जिसके संबंध में पटवारी हल्का नारवांकला द्वारा उपरोक्तानुसार मौका पर्चा रिपोर्ट 29.8.2017 तैयार की गई, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त राजपैरोकार के उपर्युक्त कथनानुसार सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर का विवादित मौका की यथास्थिति बनाये रखने का उक्त तथाकथित आदेश दिनांक 25.09.2017 को पारित किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 04.09.2017 को ही पारित कर दिया गया है एवं फर्द बेदखली दिनांक 8.9.17 के अनुसार रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके निर्णय जैर अपील पर सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.17 तत्समय प्रभावी नहीं रहा है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत मामले में हूबहू चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)